न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 95/2018 **दायरा दिनांक : 19.06.2018**

उनवान

1— शांति बाई बेवा रामकिशन जी, जाति माली, निवासी मदारपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— पुरूषोत्तम पुत्र रामकिशन जी, जाति माली, निवासी मदारपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— विष्णु पुत्र रामकिशन जी, जाति माली, निवासी मदारपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— गजराज पुत्र रामकिशन जी, जाति माली, निवासी मदारपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— कौशल्या पुत्र रामकिशन जी, जाति माली, निवासी मदारपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6— मन्जू पुत्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी मदारपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— सुनीता पुत्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी मदारपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

8— सीमा पुत्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी मदारपुरा सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मनभर बाई बेवा लटूरलाल, जाति माली, निवासी नाइयों का चौक की गली, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— धमेन्द्र पुत्र लटूरलाल, जाति माली, निवासी नाइयों का चौक की गली, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— सुरेन्द्र पुत्र लटूरलाल, जाति माली, निवासी नाइयों का चौक की गली, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— मोनू पुत्र लटूरलाल, जाति माली, निवासी नाइयों का चौक की गली, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— राजेन्द्र पुत्र लटूरलाल, जाति माली, निवासी नाइयों का चौक की गली, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6— पूजा पुत्री लटूरलाल, जाति माली, निवासी नाइयों का चौक की गली, सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.04.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 18/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचना दिये

अपना निर्णय व डिक्री प्रदान की है जबकि रेस्पोडेंट वादीगण का वाद बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में मनभर वगैरा बनाम शांति बाई वगैरा का प्रकरण विचाराधीन था । उक्त न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 9.04.2018 निम्न प्रकार है :– ''दिनांक 9.04.2018 पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकेन उपस्थित, अंतिम रूप से पत्रावली वास्तु साक्ष्य वादी दिनांक 07.06.2018 को पेश हो ।'' उक्त आर्डरशीट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को कैम्प कोर्ट सीसवाली की कोई सूचना नहीं दी गई, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है और न ही अलग से कोई नोटिस दिये गये । वर्तमान जमाबंदी एवं राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेंट वादीगण के नाम का कथन नहीं है इसलिए रेस्पोडेंट वादीगण वाद जाने से बाधित है । अपीलांट ने अपना जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था जिसमें सम्पूर्ण आपत्तियां दर्ज है । जमाबंदियों में अपीलांट का नाम बतौर रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा अपीलांट ने जवाबदावे में काउंटर क्लेम भी पेश कर रखा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल दस्तावेजात एवं प्रमाणित दस्तावेजात को प्रदर्श भी नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पेज नम्बर 3 व पैरा नम्बर 3 में कथन किया है कि वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का कोई कथन अंकित नहीं किया है यानि एक तरफा कार्यवाही नहीं की गई । निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 व पैरा नम्बर 3 में अधीनस्थ न्यायालय ने कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेंट ने सेवा पुस्तिका, मृत्यु प्रमाण पत्र, वोटर आई डी इन सभी की छाया प्रति पेश की है । जबकि नियमानुसार मूल दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश होने चाहिए थे। छाया प्रति पेश करने के लिए सैकण्डरी एविडेन्स में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु सम्बन्धित धारा के तहत रेस्पोडेंट को प्रस्तुत करना चाहिए था । रेस्पोडेंट वादी द्वारा मूल दावे के साथ अधीनस्थ नयायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय का

प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया तथा रेस्पोडेंट का टी आई प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया तथा अपीलांट प्रतिवादीगण को रेकार्डेड खातेदार माना गया । बंटवारे का वाद जमाबंदी में आलेखित रिकार्डेड खातेदारों के मध्य ही कानूनन होता है । वर्तमान में जमाबंदी में केवल अपीलांट का ही नाम दर्ज है । रेस्पोडेंट का नाम अंकित नहीं है इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट को उक्त विवादित आराजी में हिस्सा मानते हुए विभाजन की डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । पक्षकारों के बीच पूर्व में चले मुकदमें रेवेन्यू व फौजदारी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, अपीलांट प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत हुए हैं । रेस्पोडेंट द्वारा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती विभाजन, बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा के प्रश्न कोम्पलीकेटड क्यूवचन ऑफ लॉ एण्ड फेक्स् से सम्बन्धित होते हैं इस प्रकार के दावों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में साक्ष्य वादी से पत्रावली निर्णित कर खातेदारी अधिकार वादी को दिय गए हैं जो त्रुटिपूर्ण एवं न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध हैं, इससे अपीलांट के हित बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये प्रभावित हुए हैं । रेस्पोडेंट द्वारा दस्तावेज पेश किये गए जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं हुए थे, अतः इन पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 अपास्त कर पत्रावली पुनः सुनवायी के लिए रिमाण्ड की जाती है ।

पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.06.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा